प्रेषक,

सोन नहर किसान संघर्ष समिति

2/3, आर. ब्लॉक, पटना–800001

सेवा में,

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

प्रधानमंत्री, भारत सरकार,

नई दिल्ली–110001।

मान्यवर,

आपको स्मरण होगा कि गत 9 जनवरी 1989 को डिहरी आन सोन (बिहार) में सोन नहर किसान संघर्ष समिति के विशाल सम्मेलन को सम्बोधिक करते हुये आपने आस्वस्त किया थ कि जनता दल की सरकार बनने पर सोन जल समस्या का शीघ्र समाधान हो जायेगा और बिहार की शताब्दी पुरान सोन नहर प्रणाली के लिये पर्याप्त पानी की व्ययवस्था की जायेगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया शीघ्र इस समस्या का समाधान करें ताकि बिहार की शताब्दी पुरानी सुनिश्चित सोन सिचाई व्यवस्था को बर्बाद होने से बचाया जा सके। संक्षेप में सोन जल समस्या निम्न प्रकार है।

<u>इतिहास</u>

बिहार की सोन नहर प्रणाली भारत की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में अग्रणी हैं। इसकी योजना 1853 में इस्ट ब्रिटिश सरकार की विविद्यवत स्वीकृति के उपरांत 1869 में इसका निर्माण आरम्भ हुआ। 5 वर्ष की अवधि में 2 लाख 90 हजार रूपया व्यय कर इसका निर्माण 1874 ई. में पूरा हो गया और दूसरी सिचाई, पेयजल निर्माण नौ परिवहन आदि का काम शुरू हो गया। डिहरी में सोन मुख्यधारा पर 12469 फीट लम्बा और 8 फीट उंचा एनीकर बनाकर सोन के दोनों ओर विस्तृत नहर प्रणाली श्रृखला (मुख्य एवं याख नहरों को मिलाकर 1901 कि.मि. लम्बा) का निमार्ण हुआ। इस नहर प्रणाली से आज बिहार के 6 जिलों – भोजपुर, रोहताश, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, ओर पटना की कुल करीब 22.50 लाख एकड़ भूमि की सिचाई होती है और करीब एक करोड़ से अधिक जनसंख्या की आजीविका इस पर निर्भर है।
रिहन्द जलाशय परियोजना (1960)

1854 से 1960 तक सोन एवं इसकी सभी सहायक नदियों का समूचा पानी अबाध रूप से बिहार की सोन नहर प्रणाली के लिये मिलता था। इसी पानी के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अधि ा अन्न उपजाओं कार्यक्रम जब पहली बार देश भर में सात जिलों का चुनाव हुआ तो सोन अंचल का शाहाबाद (अब भेजपुर और रोहतास) जिा उनमें एक था। सोन नहर प्रणाली के लिये सोन जल आपुर्ति में पहली बार व्यवधान उपस्थित होने की सम्भावना सन् 1960 में पैदा हुई–जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहन्द को बांधकर जलाशय बनाने की योजना तैयार की। तब तत्कालीन बिहार सरकार ने इस पर आपत्ति किया कि सोन जल प्रवाह में बाधा उपस्थित होने का प्रतिकुल प्रभाव बिहार के सोन अंचल की खेती पर होना निश्चित है। बिहार के सोन अंचल की खेती पर होना निश्चित है। बिहार की आपति को मद्देनजर रखतेहुये उत्तर पद्रेश सरकार ने रिहन्द परियोजना में स्पष्ट उल्लेख किया कि रिहन्द जलाशय के जल का खपत उपयोग नहीं होगा और इसका उपयोग केवल पनबिजली बनाने में

होगा। साथ ही रिहन्द परियोजना में यह उल्लेख भी किया गया कि रिहन्द जलाशय से नियमित और निरन्तर (चौबिसो घंटा) 5000 क्यूसेक जल का प्रवाह होता रहेगा। जिसका उपयोग बिहार की खेती के लिये होगा। इस प्रकार सोन एवं सहायक नदियों के जलपर बिहार के चिर उपभेगाधिकार की स्वीकृति मिली।

इन्दपुरी बराज

रिहन्द जलाशय से नियमित और निरंतर जलापूर्ति के बाद बिहार सरकार ने डिहरी में निर्मित पुराने एनीफीट के स्थान पर 8 किलोमीटर उपर इन्द्रपुरी में बराज बनाने का काम शुरू किया। 1967 मं बराज बनकर तैयार हो गया। इस बराज में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आ.डी.ए.) ने भी भारत सरकार की भरोसा पर इस आधार पर अंशदान किया कि बराज की सफलता के लिये रिहन्द जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी की लगातार उपलब्धि होती रहेगी। बराज निर्माण के बाद पुरानी नहर प्रणाली की रिमांडलिंग कर इसकी क्षमता भी आधी बढ़ा दी गयी। इस प्रकार रिहन्द के पानी पर बिहार के अधिकार की पुनः पुष्टि हुई।

बाणसागर समझौता (1973)

जब मध्यप्रदेश सरकार सोन की मुख्य धारा को बांधकर जलाशय बनाने की योजना तैयार करने लगी तब बिहार की सुनिश्चित सिचाई प्रणाली पर एक बार फिर खतरा उत्पन्न हुआ। तब केन्द्र सरकार की मध यस्थता में तीनों सहघाटी राज्यों बिहार उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच 16 सितम्बर 1973 को एक समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार माना गया कि सोन में औसत वार्षिक जलोपब्धि 142.50 लाख एकड़ फीट है। इसमें से बिहार को 77.50 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 12. 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटित किया गया। बिहार के सोन अंचल के लिये 2.50 लाख एकड़ फीट जल गंगा नदी से लेने का भी प्राधान समझौता में किया गया।

वाणसागर समझौता में शताब्दी पुरानी सोन नहरों को प्राथमिकता

बाण्सागर समझौता में जल आवंटन के समय बिहार की सोन नहरों को प्राथमिकता दी गयी। बिहार के लिये आवंटित 77.50 लाख एकड़ फीट जल में से 57.50 लाख एकड़ फीट जल सोन अंचल की शताब्दी पुरानी सो नहरों और उच्चस्तरीय सोन नहरों के लिये असवंटित हुआ। यह आवंटन प्राथमिकता के आध ाार पर हुआ और बाणसागर समझौता के कंडिका 8 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि सोन नहरों के लिये आवंटित जल में किसी भी परिस्थिति में कटौती नहीं की जायेगी। अगर किसी साल सोन जल की कमी हो गयह तब भी सोन नहरों को पूरा पानी मिलेगा और शेष पानी में सहघाटी राज्यो की हिस्सेदारी के अनुपात में कटौती की जायेगी। इस प्रकार बाणसागर समझौता में भी सोन जल पर शताब्दी पुरानी सोन नहरों के चिर उपभोगिधिकार को मान्यता मिली।

बाण समझौता का उल्लेघन

बाण समझौता की स्याही अभी सुखी भी नहीं थी कि इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ हो गया। बाणसागर समझौता के अनुसार यह भी निश्चित हुआ था कि सहघाटी राज्यों को उनके हिस्से का पानी कहां से मिलेगा । इसके मुताबिक मध्यप्रदेश 10 लाख एकड़ फीट पानी बाणसागर जलाशय के उपर से, 20 लाख एकड़ फीट पानी बाणसागर जलाशय से उपर और 22.50 लाख एकड़ फीट पानी बाणसागर जलाशय के नीचे अपनी सीमा में सोन एवं इसकी सहायक नदियों से लेगा। उत्तर प्रदेश को 10 लाख एकड़ फीट पानी बाण सागर जलाशय से और शेष 2.50 लाख एकड़ फीट पानी बाणसागर जलाशय से मिलेगा। शेष बचा पानी बिहार को मिलेगा, जिसमें बाणसागर जलाशय से मिलने वाला 10 लाख एकड़ फीट पानी भी शामिल है।

केन्द्रीय जल आयोग ने 31 मई 1983 को तैयार किये गये प्रतिवेदन में यह दर्शाया है कि सोन जल में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कहां से कितना पानी मिलेगा। यह विवरण निम्न तालिका के आधार है।

<u>rkfydk</u>

Øekad	L=kr	d|y okf"kd tykiyfC/k	e/; izns'k dk fgLlk	mÙkj izns'k dk fgLlk	fcgkj dk fgLlk	
					ijkuh lku ugjk d fy;s	'k"k ;kstukvk d fy;s
1.	बाण सागर से उपर	50.00	30.00	10.00	10.00	––
2.	बनास नदी से	6.00	1.20	––	4.80	––
3.	गोपद नदी से	12.00	5.30	––	6.70	––
4.	रिहन्द नदी से	35.00	8.10	––	25.90	––
5.	कनहर नदी से	13.00	6.20	2.50	––	4.38
6.	उत्तर कारल नदी से	21.00	––	––	5.303	15.627
7.	सोन के मुक्त क्षेत्र से	5.50	0.50	––	4.929	0.071
	d|y	142-50	52-30	12-50	47622	20-078

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाणसागर जलाशय और कनहर नदी के अतिरिक्त सोनजल में अन्यत्र हिस्सा नहीं है। रिहन्द का भी करीब समूचा पानी बिहार के हिस्से में है और रिहन्द के पानी में उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा गाणसागर समझौता के मुताबिक नहीं है। परन्तु बाणसागर समझौता का उल्लंघन कर उत्तर प्रदेश रिहन्द बाणसागर समझौता का उल्लंघन कर उत्तर प्रदेश रिहन्द जलाशय का जबरन और गैरकानूनी इस्तेमाल कर रहा है। 1974 से ही रिहन्द पर ओबरा में जलाशय बनाकर इसके बिहार के हिस्से के पानी का खपत उपयोग ओबरा ता बिजली घर के लिये क रहा है। इतना ही नही रिहन्द में स्थापिम जल विद्युत की बेसलोड ईकाई को चिकिंग ईकाई में बदलकर भी बिहार के लिये रिहन्द का जल प्रवाह काम कर दिया है। सिंगरौली क्षेत्र के ताप बिजली घरों में बिहार के हिस्से के <u>पानी का गैर कानूनी इस्तेमाल</u>

न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केन्द्र सरकार का उपक्रम एन.टी.पी.सी. बिहार के हिस्से के रिहन्द जल करीब 10 लाख एकड़ फीट का खपत अयोग सुपर ताप बिजली घरों के लिये कर रहा है और रिहन्द जलाशय के शेष जल का उपयोग भी निर्माणाणीन और प्रस्तावित ताप बिजली घरों के लिये करने की योजना बनाये बैठा है। एन.टी.पी.सी. और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा तैयार ''सुपर थर्मल पावर स्टेशन एट सिंगरौली इन यु.पी. एण्ड एम.पी.'' नामक प्रतिवेदन के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में निर्मित, निर्माणाध ीन और प्रस्तावित ताप बिजली घरों को मिलाकर कुल 26,125 मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन होगा और इसके लिये कुल 24.584 लाख एकड़ फीट जल की जरूरत होगी। यह जल रिहन्द जलाशय से लिया जाना है। अबतक निर्मित करीब 5 हजार मेगावाट क्षमता के बिजली घरों के लिये 10 लाख एकड़ फीट रिहन्द जल का गैर कानूनी इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और एन.टी.पी.सी. द्वारा जबरन किया जा

रहा है। रिहन्द जलाशय में बिहार के हिस्से की वार्षिक जलोपब्धि 25.80 लाख एकड़ फीट है। इसमें 24.584 लाख एकड़ फीट की खपत ताप बिजली घरों में हो जायेगी तो सोन नहरों के लिये रिहन्द जलाशय में कोई जल नही बचेगा। ज्ञातव्य है कि सोन नहर प्रणाली के लिये इन्द्रपुरी बराज पर उपलब्ध कुल जल का आधा से अधिक रिहन्द जलाशय से आता हो इसका नतीजा होगा कि शताब्दी पुरानी सुनिश्चित सोन सिंचाई प्रणाली ध्वस्त हो जायेगी और अनाज का कटोरा कहा जाने वाला बिहार का स्पेन अंजल बंजर का कटोरा कहा जाने वाला बिहार का सोन अंचल बंहर हो जायेगा। पिछले तीन चार वर्षों से हर साल सोन अंचल की 30 प्रतिशत से अधिक फसल पानी के अभाव में सूख जा रही है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय एवं बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की क्रमशः 4 जून 1983 एवं 29 अक्टूबर 1981 की बैठकों में एन.टी.पी.सी. और उत्तर प्रदेश द्वारा रिहन्द जल के उपयोग से बिहार की सिंचाई प्रणाली पर संकट को स्वीकार किया गया है।

जमानिया पम्प कनाल और करवन जलाशय निर्माण

गंगा नदी से सोन अंचल के लिये 2.50 लाख एकड़ फीट बाणसागर समझौता में आवंटित है। पर इसके लिये बिहार सरकार द्वारा समझौता में आवंटित है। पर इसके लिये बिहार सरकार द्वारा बनी जमानिया पम्प कनाल योजना भी उत्तर प्रदेश के विरोध एवं असरयोग के कारण खटाई में पड़ी है। इसी प्रकार बाढ़ में बिहार जाने वाले पानी को नियंत्रित कर सोन अंचल की सिंचाई के लिये करने हेतु प्रस्तावित कदवन जलाशय योजना का भी यही हश्र हो रहा है। बिना केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के ये योजनायें पूरा नहीं होगी और इसके लिये ध ान भी केन्द्र सरकार को ही उपलब्ध कराना होगा। यह आवश्यक है कि जमानिया पम्प कनाल निर्माण में अवरोध समाप्त करे और इसे शीघ्र पूरा कराये।

सोन नदी आयोग की समाप्ति

केन्द्र द्वारा अपनायी गयी नयी जल नीति 1927 के अनुसार सभी अंतर्राज्यीय नदियों के लिये नदी आयोग गठित किये जाने का प्रस्ताव है। परन्तु पहले से ही गठित सोन नदी आयोग को केन्द्र सरकार ने गत वर्ष (मार्च 1988) से भंग कर दिया जबकि इस आयोग ने अपना काम भी पूरा नहीं किया था। सोन नदी का हाईड्रोलोजी तय करना और कमांड एरिया का बहुमुखी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भंग होने से सोन नहरी क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है।

सोन नहरों का आधुनिकीकरण

115 वर्ष पुरानी सोन नहरें मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी हैं और अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने लायक नहीं रह गयी है। उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग के लिये इन नहरों की मरम्मत आवश्यक है। बिहार सरकार ने और केन्द्रीय जल आयोग ने 1300 करोड़ रूपयों की लागत पर एक आधुनिकीकरण योजना का प्रतिवेदन भी 1983 में ही तैयार किया है। इसके बाद वापकोसर वाटर एण्ड पावर कंसलटेन्सी सर्विसेज नामक केन्द्र सरकार के संगठन ने भी एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर आधुनिकीकरण योजना के लिये विश्व बैंक से से सहायता प्राप्त की जा सकती है। परन्तु गत पांच वर्षो से बिहार सरकार और केनद्र सरकार के आश्वासनों के बावजूद इस आधुनिकीकरण योजना को अबतक योजना आयोग की मंजूरी नही मिली है और विश्व बैंक सहायता की प्राथमिकता सूची से भी इसे हटा लिया गया है। अगर यही हाल रहा तो इन नहरों से खेतों की सिंचाई असम्भव है। ज्ञातव्य है कि सोन नहर आधुनिकीकरण योजना न केवल नहरों की बल्कि पूरे सोन अंचल के आधुनिकीकरण की योजना है ओर इसके लागू होने से सोन अंचल का सर्वांगीण विकास होगा।

अतः सोन नहर किसान संघर्ष समित की ओर से हमलोग यह मांग करते हैं कि